



Neutral Citation No. - 2026:AHC:20805

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - A संख्या – 1217/2026

मोहम्मद शाहिद वहज.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता:वहज अहमद सिद्दीकी

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री वहज अहमद सिद्दीकी और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह एक जूनियर क्लर्क है और अब, तीसरे प्रतिवादी, उप आबकारी आयुक्त, प्रयागराज द्वारा पारित दिनांक 07.01.2026 के विवादित आदेश के आधार पर, उसका स्थानांतरण प्रयागराज से वाराणसी कर दिया गया है।
3. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि वह दिनांक 31.03.2027 को सेवानिवृत्त होने वाला है और इसके अतिरिक्त, वह विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है। वह स्थानांतरण नीति पर भरोसा करना चाहता है, जो इस संबंध में सुरक्षा प्रदान करती है।
4. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार का निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, जो अभी विचाराधीन है।
5. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर, रिट याचिकाकर्ता के लंबित अभ्यावेदन पर निर्णय ले।
6. इस आदेश का लाभ केवल तभी लागू होगा, यदि रिट याचिकाकर्ता स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लेता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

30 जनवरी, 2026

एन-एस0राठौर

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”